

30.07.2024

पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी
मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया
गया। प्रार्थी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर
करवाया गया। प्रार्थी के पहचान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा
की गई। प्रार्थी ने मूल वाद पत्र विद्धा कर लिया है।
प्रार्थी मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना-पत्र
मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र
डिकी होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि
जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद
तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

